उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियनत्रण अनुभाग-1,

संख्या-18 /2015/819/92-1-2015-12(जॉच)/2013

दिनांक: लखनऊ: 10 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2010-11 में डा0 अम्बेडकर ग्रामों के सी0सी0 रोड एवं नाली के 19 कार्यों का टेण्डर न करके अनुबंध सेलेक्शन के आधार पर करने, अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने तथा लाखों रू0 की शासकीय क्षति कारित करने आदि अनियमितताओं के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3166/92-2014-12(जॉच)/2013, दिनांक 21-8-2014 द्वारा श्री रामनाथ सोनकर, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित करते हुए श्री रामनाथ सोनकर को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मुख्यालय लखनऊ से सम्बद्ध किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

2- श्री रामनाथ सोनकर, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती (सम्प्रति निलम्बित) के निलम्बित रहते हुए छः माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के दृष्टिगत सम्यक रूप से विचारोपरान्त श्री रामनाथ सोनकर, तत्कालीन अधिशासी अभियंता (निलम्बित) सम्प्रति कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से सम्बद्ध, को उनके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक/विभागीय जॉच कार्यवाही चलते रहने की शर्त तथा उनकी नियमित तैनाती के संबंध में बाद में विचार किये जाने के प्रतिबंध, के साथ बहाल किया जाता है।

3- श्री सोनकर, कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ में ही पूर्ववत् सम्बद्ध रहेंगे।

कुमार कमलेश

प्रमुख सचिव।

संख्या-18/2015/819(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5- श्री रामनाथ सोनकर, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (संबद्ध कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ) द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।